

107 द. प्र. स.

(1)

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी.

मंगरा कुम्हार को

वनाम

मुन्ना महता को

M-38 / 2017 आदेश पत्रक

26/4/17

अभिलेख संख्या :- एम. 38 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी खूँटी के अप्राथमिकी संख्या :- 16/17

141  
26/4/17

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द. प्र. स. 107 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध - पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 11/5/17 को उपस्थापित करें।

अनुमंडल दण्डाधिकारी,  
खूँटी

(3)

पुचम पत्र वं हौं 2062-27 आगत ह्ये 21/11/12  
उपपत्र, विपत्र वं हौं 2062-27 उपपत्र, पुत्रा: दि.  
17/11/12 27/2/12

17/11/12 विपत्र वं हौं 2062-27 उपपत्र, पुत्रा: दि. 7/12/12  
वौं 27/2/12

7/12/12 पुचम पत्र वं हौं 2062-27 आगत ह्ये 21/11/12 उपपत्र  
विपत्र वं हौं 2062-27 उपपत्र, समयावधि सुशप्त ह्ये  
~~के साता~~ वाहकी कार्यवाही की वंद किया  
जाता है

07-11-2012